



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—2019 / 00264

दर्ज तिथि:—02.08.2001

1. रायचन्द्र पुत्र भगवानाराम
2. देवाराम पुत्र भगवानाराम
जाति विश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. लुम्बाराम पुत्र हापूराम
2. सरूपाराम पुत्र हराराम
3. रेशमी पत्नी राजूराम
4. अशोक कुमार पुत्र राजूराम
5. छोटीबाई पुत्री राजुराम
6. धोकलाराम पुत्र मिसरी फौत के कायम मुकाम
6/1 मामराज पुत्र धोकलाराम
6/2 शंकाराराम पुत्र धोकलाराम
7. हरलाल पुत्र मिसरी
8. लूंगो देवी पत्नी लुम्बाराम
जाति विश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

9. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:— श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादीगण:—श्री भाखराराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि—1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-02.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 27/125 बीघा 12 बिस्वा मौजा पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये असालतन वकालतन हाजा न्यायालय आसलतन-वकालतन उपस्थित हुए। प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2003 को जारी की गई। उक्त डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.04.2004 द्वारा हाजा न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.08.2003 यथावत रखा गया। तत्पश्चात् उक्त दोनों निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 14.10.2019 द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2003 को निरस्त कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की तनकी पर बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 14.10.2019 की पालना में तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/701 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्तागण उभयपक्षकारान के मध्य आपसी सहमति अनुसार हुए राजीनामे में दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में लुंगोदेवी पत्नी लुम्बाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी को कुर्रेजात रिपोर्ट में लाल रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। साथ ही देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी को कुर्रेजात रिपोर्ट में केसरिया रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। उक्त दोनों पक्षों के मध्य विभाजन से प्राप्त रकबे की सीमाओं को लेकर यह राजीनामा हुआ है कि सर्वप्रथम लुंगोदेवी पत्नी लुम्बाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। इसी प्रकार देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। अगर दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की आराजी मौके पर कम या ज्यादा पाई जाती है। तो दोनों पक्षों के मध्य दोनों पक्षों के वर्तमान में मौके पर कब्जा अनुसार रकबे को पूरा करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावे। बाकि सहखातेदारों का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट यथावत रखा जावे।
4. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/701 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 23.04.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1532-1542 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील गुड़ामालानी</p>

	के नोटिस 1532-1542 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 23.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
--	---

5. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 27/125 बीघा 12 बिस्वा मौजा पनावली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार

घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 27/125 बीघा 12 बिस्वा मौजा पनावली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अशोक कुमार पुत्र राजू हि0 1/6 छोटीबाई पुत्री राजूराम हि0 1/6 रेशमी पत्नी राजूराम हि0 1/6 सरूपाराम पुत्र हराराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 धोलीनाडी खातेदार	पनावली	27	0.9146	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.9146 है0				
लूंगोदेवी पत्नी लुंभाराम हि0 1/2 लूंगाराम पुत्र हापूराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	5.4792	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 5.4792 है0				
देवाराम पुत्र भगवाना हि0 1/2 रायचंद पुत्र भगवाना हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	2.7519	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.7519 है0				
शंकराराम पुत्र धोकलाराम हि0 1/2 मामराज पुत्र धोकलाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	5.2933	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 5.2933 है0				
हरलाल पुत्र मिश्रीराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27 27 27	1.9425 2.6952 0.7689	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 5.4066 है0				

गै0मु0 रास्ता राजस्थान सरकार	पनावली	27	0.1052	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1052 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				
नोट:-उक्त सारणी में लुंगोदेवी पत्नी लुम्बाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी को कुर्रैजात रिपोर्ट में लाल रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। साथ ही देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी को कुर्रैजात रिपोर्ट में केसरिया रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। उक्त दोनों पक्षों के मध्य विभाजन से प्राप्त रकबे की सीमाओं को लेकर यह राजीनामा हुआ है कि सर्वप्रथम लुंगोदेवी पत्नी लुम्बाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। इसी प्रकार देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। अगर दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की आराजी मौके पर कम या ज्यादा पाई जाती है। तो दोनों पक्षों के मध्य दोनों पक्षों के वर्तमान में मौके पर कब्जा अनुसार रकबे को पूरा करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावे। बाकि सहखातेदारों का विभाजन मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट यथावत रखा जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्ध भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00264

दर्ज तिथि:-02.08.2001

1. रायचन्द्र पुत्र भगवानाराम
2. देवाराम पुत्र भगवानाराम
जाति विश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. लुम्बाराम पुत्र हापूराम
2. सरूपाराम पुत्र हराराम
3. रेशमी पत्नी राजूराम
4. अशोक कुमार पुत्र राजूराम
5. छोटीबाई पुत्री राजुराम
6. धोकलाराम पुत्र मिसरी फौत के कायम मुकाम
6/1 मामराज पुत्र धोकलाराम
6/2 शंकाराराम पुत्र धोकलाराम
7. हरलाल पुत्र मिसरी
8. लूंगो देवी पत्नी लुम्बाराम
जाति विश्नोई निवासी पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

9. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री भाखराराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 27/125 बीघा 12

बिस्वा मौजा पनावली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अशोक कुमार पुत्र राजू हि0 1/6 छोटीबाई पुत्री राजूराम हि0 1/6 रेशमी पत्नी राजूराम हि0 1/6 सरूपाराम पुत्र हराराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 धोलीनाडी खातेदार	पनावली	27	0.9146	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.9146 है0				
लूंगोदेवी पत्नी लुंभाराम हि0 1/2 लूंगाराम पुत्र हापूराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	5.4792	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 5.4792 है0				
देवाराम पुत्र भगवाना हि0 1/2 रायचंद पुत्र भगवाना हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	2.7519	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.7519 है0				
शंकराराम पुत्र धोकलाराम हि0 1/2 मामराज पुत्र धोकलाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27	5.2933	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 5.2933 है0				
हरलाल पुत्र मिश्रीराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पनावली	27 27 27	1.9425 2.6952 0.7689	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 5.4066 है0				
गै0मु0 रास्ता राजस्थान सरकार	पनावली	27	0.1052	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1052 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				
नोट:-उक्त सारणी में लुंगोदेवी पत्नी लुंभाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी को कुर्रजात रिपोर्ट में लाल रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। साथ ही देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी को कुर्रजात रिपोर्ट में केसरिया रंग से अंकित भाग पर दर्शाया गया है। उक्त दोनों पक्षों के मध्य विभाजन से प्राप्त रकबे की सीमाओं को लेकर यह राजीनामा हुआ है कि सर्वप्रथम लुंगोदेवी पत्नी लुंभाराम, लुंगाराम पुत्र हापूराम के हिस्से की आराजी रकबा 5.4792 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। इसी प्रकार देवाराम पुत्र भगवाना एवं रायचंद पुत्र भगवाना के हिस्से की आराजी रकबा 2.7519 है0 आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। अगर दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की आराजी मौके पर कम या ज्यादा पाई जाती है। तो दोनों पक्षों के मध्य दोनों पक्षों के वर्तमान में मौके पर कब्जा अनुसार रकबे को पूरा करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में				

तरमीम की जावे। बाकि सहखातेदारों का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट यथावत रखा जावे।

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर